सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ 226031

पंत्रांकः– ए0के0टी0यू0 / उप / नामांकन / 2018 / 11154 दिनांक 21 जुलाई, 2018

सूचना

काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर द्वारा आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एप्टीट्यूट टेस्ट इन आर्किटेक्चर उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता अपेक्षित कर रखी गयी है। इस हेतु काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर द्वारा भी नेशनल एप्टीट्यूट टेस्ट इन आर्किटेक्चर (नाटा) का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। साथ ही, काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर ने वैकल्पिक रूप से यह भी प्राविधानित कर रखा है कि यदि कोई अभ्यर्थी राज्य प्रवेश परीक्षा समितियों द्वारा आहूत एप्टीट्यूट टेस्ट इन आर्किटेक्चर की परीक्षा उत्तीर्ण को भी काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर की सदस्यता हेतु अर्हकारी परीक्षा माना जायगा। आर्किटेक्चर विधा में अध्ययन के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय कारणो वश वे न तो नाटा की परीक्षा में सम्मिलित हो सके है और न ही वे राज्य प्रवेश परीक्षा, 2018 की परीक्षा में सम्मिलित हो सके है। जिस कारण वे आर्किटेक्चर संस्थानों में रिक्त सीट्स या प्रबन्धकीय कोटे के अन्तर्गत प्रवेश तो ले सकते है परन्तु काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर की सदस्यता प्राप्त नही कर पायेगें।

ऐसे अभ्यर्थियों के हितो का संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया गया है कि ऐसे समस्त इच्छुक अभ्यर्थी जो राज्य के आर्किटेक्चर संस्थानो में काउन्सिलिंग उपरान्त रह गयी रिक्त सीट्स या प्रबन्धकीय सीट्स पर प्रवेश के इच्छुक है उनके एप्टीट्यूट इन आर्किटेक्चर के आकलन हेतु दिनांक 13.08.2018 दिन सोमवार को परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय के नोएडा एवं लखनऊ परिसरो मे प्रातः 11:30 निर्धारित है। उपर्युक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से प्री–इनरोलमेन्ट के शुल्क के साथ–साथ रू0 1000/– का परीक्षा शुल्क आन–लाईन लिया जा रहा है। उपर्युक्त सन्दर्भित एप्टीट्यूट टेस्ट हेतु सलेबस राज्य प्रवेश परीक्षा विवरणीका, 2018 के पृष्ठ 39–40 पर उपलब्ध है। इच्छुक समस्त अभ्यर्थी अपना प्री–इनोरमेन्ट पंजीकरण सुनिश्चित कर लेंगे।

(डा0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव